न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 126/2016

बउनवान

विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह जाति–राजपूत निवासी–बामला तहसील–बारां जिला–बारां, राज0 **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 20.09.2021

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 17.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बामला, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 120/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है ना ही अपीलान्ट की ओर कोई सरकारी ताबान ही बकाया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:47:23 IST
Reason: SelfAttested

बहस के स्तर पर पत्रावली दिनांक [illegible].07.2016 से विचाराधीन रही है। इतनी अधिक समयावधि से पत्रावली बहस के स्तर पर विचाराधीन रहने के पश्चात भी अभिभाषक अपीलांट निरंतर समय चाहते रहे। अभिभाषक अपीलांट को बहस हेतु दिनांक 10.05.2017 को अंतिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अभिभाषक अपीलांट निरंतर समय चाहते रहे हैं। अभिभाषक अपीलांट आज भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने पेरोकार सरकार की बहस एकपक्षीय समाअत कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1406/12 निर्णय दिनांक 29.11.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु जारी नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई है। साथ ही अपील में अंकित किया गया है कि अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया जुर्माना भी अपीलांट ने जमा करवा दिया है। अपीलांट की अपील में अंकित तथ्यों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड में संलग्न पटवारी रिपोर्ट दिनांक 12.03.2016 से होती है। जिसमें पटवारी हल्का ने वर्तमान में मौके पर कोई फसल नहीं होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना हम उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 812/14 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 17.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:47:23 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)